न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 119/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
किस्तूरराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1.राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 2.पटवारी हल्का, मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 76/2017 सरकार बनाम किस्तूरराम में निर्णय दिनांक 28.07.17 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1561 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. श्मसान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.03.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.04.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा पटटा की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 76/17 सरकार बनाम किस्तूरराम की पत्रावली की फोटोप्रति, शपथ पत्र की फोटोप्रति तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण सं. 59/18 किस्तूरराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.10.18 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही अपीलांट द्वारा दिनांक 20.06.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद लंबित होने से प्रकरण हाजा की सुनवाई सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना चाहिये। जिसको प्रकरण के अंतिम बहस के साथ ही निस्तारण करने का विनिश्चिय दिनांक 18.07.19 को किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि निर्णय जैर अपील दिनांक 28.07.17 की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलांट के बाडे पर दिनांक 12.03.18 को तहसीलदार मुण्डवा द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये काला चिन्ह मार्क करने आये तथा उनके साथ आये कर्मचारियो ने तोड फोड पर आमादा हो गये, अपीलांट ने हाथ जोडकर उन्हे रूकने का निवेदन किया, तब तहसीलदार मुण्डवा द्वारा एलानिया धमकी दी गई कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हार निर्माण तोड देगे, नही तो चुपचाप यहां से भाग जाओ, तब सर्वप्रथम अपीलांट को यह जानकारी हुई कि अपीलांट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये दिनांक 28.07.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया, जबकि दिनांक 28.07.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया, जबकि दिनांक 28.07.17 को अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे बुलाकर केवल आदेशिका व कुछ कागजो पर अंगूठे लगवाकर यह कह दिया गया था कि तुम जाओ, तुम्हारे खिलाफ की गई कार्यवाही हम खत्म करते है, अपीलांट को मुगालते मे रखकर अंगुष्ठ निशान करवाये गये व उसे निर्णय जेर अपील की कोई जानकारी नही दी गई। ऐसी दशा मे पूर्व मे अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही रही। तहसीलदार व उनके अधीनस्थ कार्मिक जब 12.03.18 को अपीलांट के वादग्रस्त परिसर पर आये तब अपीलांट को सर्वप्रथम निर्णय जेर अपील की जानकारी हुई, तब अपीलांट ने दिनांक 15.03.18 को तहसील कार्यालय मे नकल के

अपर कलक्टर, नागौर

लिये आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की एवं अविलंब न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक, युक्तियुक्त, सम्यक व आवश्यक कारणो से हुई देरी है, जो जानकारी के अभाव मे साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने से, अंगुष्ठ निशान मुगालते मे रखकर करवाये जाने से हुई देरी है, जो क्षमा योग्य है। जिसे क्षमा कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.19 की ओर हमारा ध्यान दिलाया तथा तर्क किया कि विवादित भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण मे स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसलिये सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक प्रकरण हाजा की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(II)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं एकतरफा रूप से अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय मे ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस कारण से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट व मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उसमे कही भी यह अंकन नही किया गया है कि कितने भू भाग पर अपीलांट ने अतिक्रमण किया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योकि प्रकरण मे न तो अपीलांटस जगदीश व लीलाधर को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट को खसरा नं. 1561 गै.मु. श्मशान पर अतिक्रमण के लिये नोटिस जारी किया गया था, मगर अपीलांट का बाडा श्मशान की भूमि पर नही बना हुआ है, अपीलांट का बाडा वार्ड नं. 15 जो कि आबादी की भूमि है, पर निर्मित है, इस कारण आबादी की भूमि पर तहसीलदार मुण्डवा को व राजस्व कर्मचारियो को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नही है। क्योकि राजस्व कर्मचारियो के द्वारा कार्यवाही केवल राजस्व भूमि पर ही की जा सकती है, आबादी की भूमि पर कार्यवाही करने की अधिकारिता स्थानीय निकाय को हासिल है, वर्तमान प्रकरण मे की गई कार्यवाही विधि विरूद्व व विधि वर्जित होने से भी निरस्तनीय हैं।

{2}(VI)–अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही दिनांक 13.07.17 को शुरू की गई थी व अगली ही पेशी पर दिनांक 28.07.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश भी पारित कर दिये गये थे, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जल्दबाजी मे तमाम कार्यवाही अमल मे लाई गई है। इस कारण से भी पोशीदा कार्यवाही होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलांट द्वारा अपनी कब्जासुदा मालिकाना हक की वादग्रस्त भूमि जो कि वार्ड नं. 15 नगरपालिका मंडल मुण्डवा मे स्थित है, जो कि आबादी भूमि है, जिसमे बाडा, दो होद, लेटरिन बाथरूम,

अपर कलक्टर, नागौर

मवेशियो को बांधने के लिये छान व उनका चारा रखने के लिये टीनशेड लगाये हुए पिछले लंबे समय से रहते चले आये है। जो संपूर्ण तथ्य रेस्पोडेन्ट की जानकारी मे थे, कृषि वर्ष 2074 मे संपूर्ण निर्माण किया जाना कतई संभव नही है, न ही कोई नया कब्जा कृषि वर्ष 2074 मे किया गया है। इस स्थिति पर मनन किये बिना ही पारित किया गया निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित श्मसान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पूर्वजो के समय से कब्जा होने का कथन किया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि के संबंध मे ग्राम पंचायत का पटटा सं. 2/56/57 दिनांक 22.11.56 बेनाम मोतीलाल पुत्र बालमुकुन्द ईनाणी की फोटोप्रति प्रस्तुत की। जिसमे पूर्व दिशा मे श्मशान भूमि दर्शायी गई है। जिससे भी आराजी भूमि आबादी की नही होकर श्मशान भूमि होना ही प्रकट करती है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण मे आदेश दिनांक 23.10.18 मे प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं सम्यक तौर पर विधि की प्रक्रिया का पालन कर सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नही करने के आदेश पारित किये गये है। जिससे वर्तमान कार्यवाही पर कोई रोक नही है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। आराजी भूमि को लेकर वर्तमान कार्यवाही स्थगित की जाने को लेकर सिविल न्यायालय द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार रेकर्ड पर नही है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 1561 रकबा 0.05 बीघा श्मसान भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मसान है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति पटटा दिनांक 22.11.56 के अनुसार भी कथित पटटे के पूर्व मे श्मशान भूमि को पडोस दर्शाया गया है। जिससे भी आराजी भूमि राजकीय श्मशान भूमि होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश की पालना करते समय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के दीवानी विविध प्रकरण सं. 59/18 किस्तूरराम बनाम राज. सरकार मे पारित आदेश दिनांक 23.10.18 के प्रकाश मे सभी दस्तावेज एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर लेते हुए यथोचित कार्यवाही करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर